झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक.विविध.याचिका. सं. 3121 वर्ष 2023

फिरोज शहनवाज उम्र लगभग 53 वर्ष पुत्र स्व. मोहम्मद हबीबउल्ला, निवासी क्वार्टर सं. ईडब्लूएस- 36, निकट संदीप स्टोर, हरमू हाऊसिंग कालोनी, डाकखाना तथा थाना अरगोरा, जिला राँची, वर्तमान में निवासी जोरा तालाब, सामने लेक व्यू हॉस्पिटल, डाकखाना एवं थाना बारियातू जिला राँची

.....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य **.....उत्तरदाता**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री नितीश कुमार साहनी ,अधिवक्ता

श्री पंकज कुमार मिश्रा, अपर लोक अभियोजक.

निर्णय

मा. न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनो पक्षकारो को सुना

2. इस आपराधिक विविध याचिका को लोवर बाजार थाना मामला सं. 125 वर्ष 2022 से उद्भूत स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ मामला सं. 33 वर्ष 2022 के संबंध में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-II, राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-7-2023 का अभिखण्डन करने के अनुरोध के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-II, राँची ने लोवर बाजार थाना मामला सं. 125 वर्ष 2022 जो इस समय विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-II राँची के न्यायालय में लंबित है से उद्भूत याचिकाकर्ता जो उक्त स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ मामला सं. 33 वर्ष 2022 का अभियुक्त है द्वारा अ.सा.1, अ.सा.02 तथा अ.सा. 03 के इनके प्रति-परीक्षा हेतु पुनः बुलाने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को नामंजूर किया था।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि लोवर बाजार थाना मामला सं. 125 वर्ष 2022 से उद्भूत उक्त स्वापक औषधि मनःप्रभावी पदार्थ मामला सं. 33 वर्ष 2022 में, अ.सा. 1 की

मुख्य परीक्षा 05-12-2022 को की गई थी तथा 03.02.2023 को अ.सा.2 तथा अ.सा. 03 के मुख्य परीक्षा को लेखबद्ध किया गया था।

4. अभिसाक्ष्य में पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये पृष्ठांकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा जेल से मुख्य परीक्षा के दौरान पेश किया गया था लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ था जो उक्त मामले में अभियुक्त था, अतः इसने याचिकाकर्ता को उन्मोचित कर दिया था। विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-॥, राँची ने संप्रेक्षित किया कि साक्षीगण की प्रति-परीक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा को अवसर दिया गया था लेकिन यह दो भिन्न भिन्न तिथियो पर इसका लाभ उठाने में असफल था जब अभियोजन साक्षीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था तथा पुनः बुलाये जाने के लिए ईप्सित तीनो साक्षीगण लोक सेवक है जिनका काम का समय मूल्यवान है तथा अभियुक्त/ याचिकाकर्ता अभिरक्षा में है तथा विचारण अधिमानी क्रम में जारी है तथा अ.सा.01, अ.सा.02 तथा अ.सा.03 को पुनः बुलाने के अनुरोध को नामंजूर किया था।

5. राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि आ.प्र.या. में कोई गुणागुण नही है तथा अ.सा.01, अ.सा.02 तथा अ.सा.03 को पुनः बुलाने का कोई न्यायनुमोद्य कारण नही है लेकिन स्पष्टतया निवेदन किया है कि लोक अभियोजक संभवतः अ.सा.01, अ.सा.02 तथा अ.सा.03 को अभियुक्त / याचिकाकर्ता के पहचान के संबंध में प्रश्नो को पूछने से बचाव किया था, अतः यदि न्यायालय को अ.सा.01, अ.सा.02 तथा अ.सा.03 को पुनः बुलाने के अनुरोध को अनुज्ञात किया जाता है तब अभियोजन को साक्षीगण द्वारा अभियुक्त के शिनाख्त के संबंध में प्रश्नो को पूछने की अनुमति दी जाय। इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि इस आ.प्र.या. को किसी गुणागुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

6. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्द्वी निवेदनो को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियो का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-॥, राँची ने अ.सा.01, अ.सा.02 तथा अ.सा.03 को पुनः बुलाने के अनुरोध को नामंजूर करने में अनुचितता किया है, क्योकि आदेश दिनांक 27-07-2023 में यह उल्लेख किया गया है कि साक्षीगण की प्रति-परीक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा को अवसर दिया था लेकिन उक्त विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-॥, राँची द्वारा साक्षीगण के अभिसाक्ष्य में किये गये पृष्ठांकन से यह प्रदर्शित नही होता है कि इसने स्वयं साक्षीगण की प्रति-परीक्षा करने के लिए अभियुक्त / याचिकाकर्ता को प्रस्थापना किया था जिसे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा

कथित तौर पर उपस्थित होना था। यह आश्चर्यजनक है कि यद्यपि विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-॥, राँची ने दावा किया है कि अभियुक्त व्यक्ति लगातार वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए साक्षीगण के परीक्षा के दौरान उपस्थित था; तो क्यो अभियुक्त व्यक्ति के शिकायत के संबंध में कोई प्रश्न अ.सा.01 से नही पूछाँ गया था तथा क्यो अभियुक्त व्यक्ति जो वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए उपस्थित हो रहा था की पहचान करने के बजाय अ.सा.2 तथा अ.सा.03 ने अपने अभिसाक्ष्यो को पैरा 6 में कहा है कि ये लोग अभियुक्त की शिनाख्त कर सकते है यदि ये लोग इस देख सके तो। निर्विवादित तथ्य है कि याचिकाकर्ता का अधिवक्ता उपस्थित नही था इसलिए स्वयं साक्षीगण से प्रति-परीक्षा करने के लिए विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-॥ राँची द्वारा याचिकाकर्ता को प्रतिस्थापना करना आवश्यक था। यह अलग मामला रहा होता यदि अभियुक्त ने अपनी असमर्थता व्यक्त किया होता लेकिन निश्चित रूप से यह याचिकाकर्ता को साक्षीगण की प्रति-परीक्षा करने का अवसर दिये बिना, साक्षीगण को उन्मोचित करने में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-॥ राँची द्वारा किया गया अनुचितता था।

7. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अन्तर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए, न्यायालय को आवश्यक रूप से यह विचार तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रति-परीक्षा या पुर्न-परीक्षा हेतु साक्षी का पुनः बुलाया जाना मामले के न्याय संगत विनिश्चय हेतु आवश्यक होना चाहिए। सर्वोपरि शर्त न्यायसंगत विनिश्चय है तथा इस उद्देश्य के लिए पुनः बुलाये जाने तथा पुनः परीक्षा किये जाने वाले व्यक्ति के तात्विकता का अभिनिश्चय किया जाना चाहिए : जैसा (2013) 14 एससीसी 461 में संप्रकाशित राजा राम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य तथा एक अन्य के मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

8. अब, मामले के तथ्यो पर आते है, जैसा ऊपर पहले ही संकेत दिया गया है, यह सभी आपराधिक विचारणो में अनिवार्य है जहाँ साक्षीगण से अभियुक्त को जानने की आशा की जाती है, इस प्रकार के साक्षीगण से अभियुक्त की पहचान करने के लिए कहा जाना चाहिए यदि अभियुक्त शरीर से या वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए न्यायालय में उपस्थित है लेकिन स्वयं को ज्ञात सर्वोत्तम कारणो पर, विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-॥, राँची ने तीनो साक्षीगण में से किसी से याचिकाकर्ता की पहचान करने के लिए न कहकर गंभीर त्रुटि किया है जिसे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा इनके मुख्य-परीक्षा के दौरान उपस्थित होना बताया गया है।

9. आगे, विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-॥, राँची, जैसा पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है,साक्षीगण के प्रति परीक्षा हेतु उपस्थित होने के अपने अधिवक्ता के विफलता के

परिणामस्वरूप अभियुक्त को स्वयं साक्षी की प्रति परीक्षा करने का मौका/अवसर न देकर स्वयं पर अधिरोपित कर्तव्य का निर्वाहन करने में असफल हुआ है। इस बात में कोई विवाद नही है कि निष्पक्ष आपराधिक विचारण में साक्षी की प्रति-परीक्षा करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। निर्विवादित रूप से पूर्णतया तीनो साक्षीगण अ.सा.01, अ.सा.02 तथा अ.सा.03 में किसी की प्रति-परीक्षा नही की गई है लेकिन फिर भी विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-II, राँची ने अपने अधिवक्ता को जरिए अभियुक्त / याचिकाकर्ता द्वारा इसकी प्रति-परीक्षा करने हेतु इन्हे पुनः बुलाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन दाखिल याचिका को अनुज्ञात करने के बजाय तुच्छ कारणो को प्रोदघृत करते हुए इसे नामंजूर किया है जो दूर दूर तक भी मामले के न्याय संगत विनिश्चय से संबंधित नही है तथा इसके द्वारा अनुचितता किया है।

10. तद्नुसार, इस न्यायलय को यह धारित करने में कोई हिचकिचाहट नही है कि लोवर बाजार थाना मामला सं. 125 वर्ष 2022 से उद्भूत स्वा.औ.मनः प्रभा. पदा. मामला सं. 33 वर्ष 2022 के संबंध में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-II, राँची द्वारा पारित अनुचित आदेश दिनांक 27-07-2023 का जारी रहना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा। अतः यह अभिखंडित तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

11. तद्नुसार, लोवर बाजार थाना मामला सं. 125 वर्ष 2022 से उद्भूत स्वा.औ.मनः प्रभा. पदा. मामला सं. 33 वर्ष 2022 के संबंध में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-II, राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-07-2023 को याचिकाकर्ता के विरूद्ध अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

12. आगे, अभियुक्त / याचिकाकर्ता द्वारा अ.सा.01, अ.सा.02, तथा अ.सा.03 को इनके प्रति-परीक्षा हेतु पुनः बुलाये जाने के अनुरोध के साथ अभियुक्त / याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल याचिका दिनांक 08-05-2023 को अनुज्ञात किया जाता है तथा विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त-II, राँची को इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किये गये संप्रेक्षणो के आलोक में अभियुक्त / याचिकाकर्ता द्वारा इनके आगे के मुख्य परीक्षा, यदि आवश्यक है तथा इनके प्रति-परीक्षा हेतु आवश्यक आदेश पारित करने का निदेश दिया जाता है।

13. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

दिनांक 7 फरवरी 2024

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)